अनुदान संख्या 93 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 93–MINISTRY OF TOURISM

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1064,00,00		1064,03,00	996,01,19	–68,01,81
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					54,93,70
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	6,00,00		7,00,00	6,96,30	–3,70
पूरक	Supplementary	1,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–10000.00			
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	62900.00			
पू.	S.	1.00	59125.04	57900.68	–1224.36
पु.	R.	–3775.96			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	30900.00			
पू.	S.	1.00	40701.00	40601.80	–99.20
पु.	R.	9800.00			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	2000.00			
पू.	S.	1.00	440.00	437.90	–2.10
पु.	R.	–1561.00			

(I) 10200.50 लाख रु. का प्रावधान (दिसंबर, 2009 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; जिसमें से 10200.00 लाख रु. के निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552''-

(क) ''सामान्य (पर्यटन) - प्रशिक्षण - आई एच एम एस/ एफ सी आई / आई आई टी टी एम / एन सी एच एम सी टी को सहायता'' - 800.00 लाख रु.;

(ख) ''सामान्य (पर्यटन) - संवर्धन और प्रचार - आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार'' - 600.00 लाख रु.; और

(ग) ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद /अवसंरचना का विकास'' - 8600.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.10200.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in December, 2009) remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.10200.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "General (Tourism) – Training – Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" – Rs.800.00 lakhs;

(b) "General (Tourism) – Promotion and Publicity – Domestic Promotion and Publicity including Hospitality" – Rs.600.00 lakhs; and

(c) "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" – Rs.8600.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश की वापसी से होने वाली आय के लिए प्रावधान'' - 200.00 लाख रु. भारतीय पर्यटन विकास निगम की विनिवेश राशि की वापसी के विवादित और न्यायाधीन मामलों का निपटान न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3452'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''पर्यटक अवसंरचना'' -

(क) ''पर्यटक केंद्र - पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय अभिकरणों को सहायता'' - 500.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास'' - 483.31 लाख रु. की बचत (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 11000.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - पर्यटन महानिदेशालय''- 548.68 लाख रु. की बचत (2383.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, बाल शिक्षा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत और

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3452" – "General – Other Expenditure – Provision for refund of disinvestment Proceeds for ITDC" – Rs.200.00 lakhs - due to non-settlement of disputed and sub-judice cases of refund of disinvestment proceeds for India Tourism Development Corporation.

(II) Under Major Head "3452" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Tourist Infrastructure" –

(a) "Tourist Centres – Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(b) "Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" – saving of Rs.483.31 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.11000.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in March, 2010) was due to slow progress of civil works by Central Public Works Department.

(B) "General" –

(a) "Direction and Administration – Directorate General of Tourism" – saving of Rs.548.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2383.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of

चिकित्सा संबंधी कम दावे प्राप्त होने और राज्य सरकारों से सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''संवर्धन और प्रचार- प्रत्यक्ष व्यय'' - 976.10 लाख रु. की बचत (30420.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन की पद्धति में बदलाव होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''प्रशिक्षण -आई एच एम एस/एफ सी आई/आई आई टी टी एम/एन सी एच एम सी टी को सहायता'' - 930.00 लाख रु. की बचत (9200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''बाजार अनुसंधान'' - 150.16 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) ''संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - अंतर्जात पर्यटन परियोजना'' - 481.57 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(iii) ''आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन'' - 882.81 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजीगत प्रोत्साहन की संशोधित स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना का

less claims towards children education allowance, leave travel concession and medical and receipt of less number of proposals for Information Technology projects from State Governments.

(b) "Promotion and Publicity – Direct Expenditure" – saving of Rs.976.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30420.00 lakhs) was due to change in funding pattern and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(c) "Training – Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" – saving of Rs.930.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9200.00 lakhs);

(d) "Other Expenditure" –

(i) "Market Research" – saving of Rs.150.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(ii) "UNDP-Endogenous Tourism Project" – saving of Rs.481.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(iii) "Incentive to Accommodation Infrastructure" – saving of Rs.882.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-approval of revised scheme of Capital Incentive by the Ministry of Finance and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(III) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation –

विकास'' के अंतर्गत 1570.40 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2009 में मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''पर्यटन (सामान्य) - प्रशिक्षण - आई एच एम/एफ सी आई/ आई आई टी टी एम/एन सी एच एम सी टी को अनुदान'' - 600.00 लाख रु.।

(खा) ''पर्यटन - (सामान्य) - निदेशन और प्रशासन - पर्यटन महानिदेशालय'' - 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 99.73 लाख रु. था।

(गा) ''पर्यटन - (सामान्य) - संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय'' - 300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 210.19 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन - विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय'' - 121.84 लाख रु. का अधिक व्यय (2935.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर विदेश भत्तों को संशोधित किए जाने और टोक्यो और न्यूयार्क स्थित पर्यटक कार्यालय द्वारा आवास बदले जाने के कारण हुआ।

Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" – saving of Rs.1570.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territory Governments and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2009 under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes" – under the following heads:-

(A) "Tourism (General) – Training - Grants to IHMs/FCI/IITTM/NCHMCT" – Rs.600.00 lakhs.

(B) "Tourism - (General) - Direction and Administration – Directorate General of Tourism" – Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.99.73 lakhs.

(C) "Tourism - (General) - Promotion and Publicity – Direct Expenditure" – Rs.300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.210.19 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3452" – "General – Direction and Administration – Tourist Offices Abroad" – excess of Rs.121.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2935.00 lakhs) was due to revision of foreign allowances on implementation of 6th Central Pay Commission Report and shifting of office accommodation by Tourist Office, Tokyo and New York.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटन - (सामान्य) - प्रशिक्षण - सेवा प्रदायकों के लिए क्षमता निर्माण" - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2009 में 0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 100.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास" - 8590.88 लाख रु. का अधिक व्यय (30600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 92.47 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 185 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में 100.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (99.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5452" - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक केंद्र - बौद्ध केंद्र (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित)" के अंतर्गत मार्च, 2010 में 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 96.30 लाख रु. था।

(B) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes – Tourism – (General) – Training – Capacity Building for Service Provider" – excess of Rs.200.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.100.25 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh obtained in December, 2009) was due to requirement of additional funds towards ongoing Training Programmes.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuit"– excess of Rs.8590.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30600.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.92.47 lakhs occurred constituting 185 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

4. The above savings were partly (Rs.99.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs in March, 2010 under Major Head "5452" – "Tourist Infrastructure – Tourist Centres - Buddhist Centres (including Externally Aided Projects)". Actual excess, however, was Rs.96.30 lakhs.